



दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

उ०प्र० सरकार का उपक्रम

पत्रांक- 965/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-1/सहा०अभि०-03

दिनांक 29/01/2014

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोनामित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ सं०-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	सहायक अभियन्ता का नाम (अनु०सं०) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री प्रमोद कुशवाहा (2014099) (बांदा)	उपखण्ड अधिकारी, बिल्हौर, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर, कानपुर।	सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध) मुख्य अभियन्ता (वितरण) आगरा क्षेत्र, आगरा। (उपखण्ड अधिकारी-द्वितीय, जसराना के पद पर तैनाती हेतु)

1. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. स्थानान्तरित अधिकारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के, स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जायेगा।
3. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० 5910/गोपनीय/पाकालि/(06)/2006, दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।

प्रभु एन. सिंह
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक-965/प्र०नि०/का०प्र०/तददिनांक 29/01/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/कानपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ ऑफिसर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, कानपुर/फिरोजाबाद।
5. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शिकोहाबाद/वि०वि०खण्ड-द्वितीय, चौबेपुर, कानपुर।
7. उप सचिव (अ०प्र०-03/04) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. पी०एफ०/कट फाइल।

Fax →

(टी० आर० गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं का०प्र०)